रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



B
9/1/84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 1983/अग्रहायण 1, 1905
No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1983/AGRAHAYANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

indiacode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1983

सा० का० नि० 857 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य मे यथा प्रवृत्त मुम्बई भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1942 का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

(क) जब तक कि अन्यथा उपान्तरण निदेशित न किया जाए, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और ऐसे, किसी वाक्यांश में जिसमें "राज्य सरकार" शब्द आते है, ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमानुसार अपेक्षित हों।

(ख) "प्रभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी" शब्दो के स्थान पर जहा जहां वे आते हैं, "भूमि संरक्षण अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) "जिला कृषि अधिकारी" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, "कृषि अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) "एकड़" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "हैक्टेयर" शब्द रखा जाएगा।

(ङ.) निम्नलिखित शब्दों का जहां-जहां वे आते हैं लोप किया जाएगा

(1) "कम्पनी"

(2) "या, कम्पनी"

(3) "या, कम्पनी अधिकारी"

(4) या यथास्थिति कम्पनी"

(5) या, यथास्थिति, कम्पनी अधिकारी"।

(6) "या, यथास्थिति कम्पनी को",

2—धारा 1 में,—

(1) उपधारा (2) में "गुजरात राज्य" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे,

(2) उपधारा (3) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

3—धारा 2 में,—

(1) खण्ड (1) और खण्ड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है,"

(1क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है,

(1कक) "कलक्टर" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का कलक्टर अभिप्रेत है,

(2) खण्ड (1ख) और (1ग) का लोप किया जाएगा।

(3) खण्ड (2ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2ग) "निष्पादित अधिकारी" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा मानो स्कीम केन्द्रीय सरकार के व्यय पर निष्पादित की जानी है।"

(4) खण्ड (5क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5क) विनियम से दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 अभिप्रेत है;

(5) खण्ड (5ख) (7क) और (7ख) का लोप किया जाएगा;

(6) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(8) उन शब्दों और पद के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है वही अर्थ होंगे जो उनके उस विनियम में है।

4. धारा 3 की उपधारा (1) में "प्रत्येक जिले मे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 5 मे,—

(1) उपधारा (1) मे "या कम्पनी द्वारा नियुक्त अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(2) उपधारा (2) में "तालुका, तहसील या महल के और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. धारा 9 मे,—

(1) उपधारा (1) के परन्तुक में "सरकार" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "केन्द्रीय सरकार" रख्द रखे जाएंगे

(2) उपधारा (2) में, "तालुका तहसील या महल और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. धारा 11 की उपधारा (2), (3) और (6) में 'सरकार" शब्द के स्थान पर जहा जहां वह आता है, 'केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

8 धारा 12 की उपधारा (1) में,—

(1) "सरकार" शब्द के स्थान पर जहां जहा वह आता है, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

(2) दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दो के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

(3) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

9. धारा 13 की उपधारा (1) मे, "मुम्बई भूमि सुधार स्कीम विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1958 के स्थान पर "यह अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 15 मे "संहिता" शब्द के स्थान पर "विनियम" शब्द रखा जाएगा।

11. धारा 15क का लोप किया जाएगा।

12 धारा 17 में—

(1) उपधारा (1) में "संहिता" शब्द के स्थान पर "विनियम" शब्द रखे जाएंगे और

(2) उपधारा (2) मे सुसगत भू-राजस्व अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "विनियम" शब्द रखा जाएगा।

13. धारा 21 में "वह या" शब्दो का जहा जहा वे आते है, लोप किया जाएगा।

14. धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (1) मे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 25 में "तालुका" तहसील या महल के "शब्दों का लोप किया जाएगा।

16. धारा 26 और 26क का लोप किया जाएगा।

17. धारा 27, 28, 28क और 29 का लोप किया जाएगा।

[स० यू-11015/5/83-यू०टी०एल]

आर० वी० पिल्लै, संयुक्त सचिव

IndiaCode

उपाबंध

दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा-विस्तारित मुम्बई भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1942 (1942 का मुम्बई अधिनियम सं० 28) जैसा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया है ।

टैंक तटबंधों और अन्य सकर्मों के निर्माण, भूमि संरक्षण के प्रयोजन, चराई का प्रतिषेध और नियंत्रण, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जल आपूर्ति में सुधार और ऐसे ही अन्य विषयों के संबंध में स्कीमें बनाने और उनका निष्पादन करने के लिए उपबंध करने के लिए जिससे कि मुम्बई प्रान्त में भूमियों और फसलों की रक्षा और उनमें सुधार हो सके और प्रान्त के राजस्व पर कतिपय व्यय प्रभारित करने के लिए अधिनियम ।

टैंक तटबंधों और अन्य सकर्मों के निर्माण, भूमि संरक्षण के प्रयोजन, चराई का प्रतिषेध और नियंत्रण, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जल आपूर्ति में सुधार और ऐसे ही अन्य विषयों के संबंध में स्कीमें बनाने और उनका निष्पादन करने के लिए जिससे कि मुम्बई प्रान्त में भूमियों और फसलों की रक्षा और उनमें सुधार हो सके और प्रान्त के राजस्व पर कतिपय व्यय प्रभारित करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

और मुम्बई के गवर्नर ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन अपने द्वारा जारी की गई तारीख, 4 नवम्बर, 1939 की उद्घोषणा के अधीन वे सब शक्तियां अपने हाथ में ले ली जो प्रान्तीय विधान मंडल में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित है,

अतः अब, मुम्बई का गवर्नर, उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

1 (1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1942 है ।

(2) यह संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित होगा ।

(3) यह उस क्षेत्र में और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

2 परिभाषाएं —इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात असंगत न हो,

(1) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(1क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(1कक) "कलक्टर" से दादरा और नागर हवेली का कलक्टर अभिप्रेत है;

(2) "कृषि निदेशक" से तत्समय कृषि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वह अधिकारी भी है जो प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृषि निदेशक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है;

(2क) "भूमि संरक्षण अधिकारी" से तत्समय भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के अधीन भूमि संरक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है;

(2ख) "कृषि अधिकारी" से तत्समय कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है

(2ग) "कार्यपालक अधिकारी" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसका अर्थ इस बात के अनुसार लगाया जाएगा कि क्या स्कीमें केन्द्रीय सरकार के व्यय पर निष्पादित की जाती है;

(3) "जांच अधिकारी" से बोर्ड द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है—

(4) "स्वामी" के अंतर्गत पृथकतया, सामान्यतया या संयुक्ततः स्वामी, कब्जाधारी, भूमि धृतिधारक, पट्टेदार, किराएदार और कब्जाधारी बंधकदार भी है तथा "स्वामित्व रखने वाला" और "स्वामित्व में होना" पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे,

(5) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(6) "विनियम" से दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 अभिप्रेत है;

(7) "स्कीम" से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई भूमि सुधार स्कीम अभिप्रेत है

(8) इस अधिनियम में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं है वही अर्थ है जो उनके विनियम में है

IndiaCode

अध्याय-2

बोर्डों का गठन और भूमि-सुधार स्कीमों की तैयारी

3. बोर्डों का गठन --(1) प्रशासक एक बोर्ड गठित करेगा जिसमें कलक्टर, कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी और ऐसे दो से अनधिक गैर सरकारी व्यक्ति होंगे जो प्रशासक द्वारा नियुक्त किए जाएं ।

(1क) भूमि संरक्षण अधिकारी बोर्ड का सचिव होगा ।

(2) यदि बोर्ड के सदस्यों के बीच इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रश्न को बाबत कोई मतभेद है तो सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय माना जाएगा ।

4. बोर्ड को भूमि सुधार स्कीमें तैयार करने और उन विषयों की बाबत निदेश देने की शक्ति जिनके लिए स्कीमें तैयार की जा सकेंगी --(1) बोर्ड अपने अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के लिए भूमि सुधार स्कीम तैयार करने का निदेश दे सकता है; स्कीम में निम्नलिखित किसी भी विषय के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् --

(i) भूमि संरक्षण और सुधार,

(ii) मिट्टी के कटाव की रोकथाम,

(iii) जल आपूर्ति में सुधार जिसके अंतर्गत कुओं और अन्य भू-गत जल स्रोतों का विनिर्माण और सुधार तथा उन स्रोतों का उपयोग भी है,

(iiiक) स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सिंचाई स्रोत के अधिक उपयोगी प्रयोग के लिए भूमि का विकास,

(iv) शुष्क खेती पद्धतियों का प्रारम्भ,

(v) खेती की पद्धतियों का विकास,

(vi) जल अवरुद्ध भूमि या सागर में से भूमि का उद्धार,

(vii) चराई का प्रतिषेध या नियंत्रण,

(viii) वृक्षों के विकास का नियंत्रण और रख-रखाव,

(viiiक) वनस्पति संपदा को जलाने का विनियमन या प्रतिषेध;

(viii ख) बंजर भूमि या परती भूमि में खेती,

(viii ग) हरियालों या किसी अन्य प्रकार की खर पतवार या वनस्पति का उन्मूलन जो खेती पर घातक प्रभाव डाल सकती है या उसमें व्यवधान कर सकती है--

(ix) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत नहीं है और विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश जारी किए जाने पर, बोर्ड, ऐसे निदेशों के अनुसार जैसे कि वह जारी करे, स्कीम का प्रारूप तैयार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, एक अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थात्:--

(i) स्कीम का उद्देश्य,

(ii) स्कीम में सम्मिलित की जाने वाली भूमि का अनुमानित क्षेत्र;

(iii) स्कीम के अधीन कार्यान्वित किया जाने वाला संकर्म या संकर्मों की प्रकृति,

(iv) वह या वे अधिकरण जिसके या जिनके माध्यम से संकर्म कार्यान्वित किया जाएगा,

(v) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

3. धारा 4 के अधीन तैयार की गई स्कीम का प्रारूप बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और बोर्ड या तो उस स्कीम का किसी उपांतरण सहित या उसके बिना ही अनुमोदन करेगा या उसे अस्वीकार करेगा और यदि बोर्ड स्कीम का अनुमोदन करता है तो वह एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम राजपत्र में और उस गांव में तथा उस जिले के मुख्यालय में, जिसमें स्कीम सम्मिलित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि अवस्थित है, प्रकाशित की जाएगी ।

(3) बोर्ड किसी ग्राम में उपधारा (2) के अधीन स्कीम प्रकाशित करने के साथ-साथ स्कीम से प्रभावित ऐसे सब व्यक्तियों से जो स्कीम या उसके किसी भाग के बारे में कोई आक्षेप करने की वांछा करते हैं, अपने आक्षेप ऐसे प्रकाशन से सात दिन के भीतर, लिखित में, जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने या उसके समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करेगा ।

6. जांच अधिकारी की रिपोर्ट :--(1) जांच अधिकारी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करेगा जो उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं और धारा 5 के अधीन सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए सब आक्षेपों पर विचार करेगा तथा आक्षेपों सहित अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(2) जांच अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, ऐसे किन्हीं उपांतरणों की सिफारिश करेगा जो उसकी राय में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई स्कीम में सम्मिलित विशिष्टियों में से किसी में अपेक्षित है ।

7. विवादग्रस्त दावों का विनिश्चय :--(1948 के मुम्बई अधिनियम सं० 29 की धारा 2 के साथ पठित, 1946 के मुम्बई अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा निरसित)

8. अधिकारी की रिपोर्ट :--(1948 के मुम्बई अधिनियम सं० 29 की धारा 2 के साथ पठित, 1945 के मुम्बई अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा निरसित)

9. स्कीम का उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदन करने की बोर्ड की शक्ति :—(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और आक्षेपों पर, तथा किसी और आक्षेप और रिपोर्ट पर जो बोर्ड, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात बोर्ड स्कीम को उपांतरणों सहित या उनके बिना मंजूर कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु यदि स्कीम में सम्मिलित भूमि के केन्द्रीय सरकार से भिन्न, स्वामियों की कुल संख्या में से 49 प्रतिशत से अन्यून या केन्द्रीय सरकार से भिन्न ऐसे स्वामियों द्वारा जो स्कीम में सम्मिलित भूमि के कुल मिलाकर 49 प्रतिशत से अन्यून भूमि के स्वामी हैं, स्कीम या उसके किसी भाग के बारे में कोई आक्षेप किए जाते हैं, तो बोर्ड स्कीम को प्रशासक को उसके आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा। तदुपरि, प्रशासक या तो स्कीम को उपांतरणों सहित या उनके बिना मंजूर कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई स्कीम राजपत्र में, और उस ग्राम में तथा उस जिले के मुख्यालय में जिसमें स्कीम में सम्मिलित की गई भूमियां अवस्थित हैं, प्रकाशित करेगा और वह स्कीम इस प्रकार प्रकाशित किए जाने पर अंतिम होगी ।

10. स्कीम का प्रभाव :—स्कीम उस दिन से प्रवृत्त होगी जिस दिन वह धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम में प्रकाशित की जाती है और इस प्रकार से प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के रूप में अधिनियमित की गई थी ।

10क विनियम बनाने की प्रशासक या बोर्ड की शक्ति :—जो धारा 10 के अधीन प्रवृत्त की गई स्कीम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए :—

(क) प्रशासक, या

(ख) बोर्ड, प्रशासक के परामर्श से स्कीम के अनुपूरक और आनुषंगी किन्हीं विषयों की बाबत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से या जनसाधारण से सामान्यतया कोई कार्यवाही करने की या कतिपय कार्यों को करने से निवारित रहने की अपेक्षा करने के लिए विनियम बना सकता है ।

अध्याय-II

स्कीम का निष्पादन

11. स्कीम को प्रवर्तित करने की शक्ति :—(1) धारा 10 के अधीन किसी स्कीम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, बोर्ड उसके निष्पादन के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(2) स्कीम में सम्मिलित भूमि का प्रत्येक स्वामी उन सकर्मों के खर्च या उनके भाग, जो स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस स्वामी की भूमि में स्वामी के खर्च या भागत खर्च पर कार्यान्वित किए जाने हैं, सदत्त करेगा

(3) यदि स्कीम में सम्मिलित भूमि का कोई स्वामी ऐसे किसी संकर्म को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके खर्चे या भागतः खर्चे पर उसकी भूमि पर कार्यान्वित किए जाने हैं, स्वयं कार्यान्वित करने की वांछा करता है तो वह इस आशय की लिखित सूचना स्कीम के धारा 9 के अधीन गांव में प्रकाशन से सात दिन के भीतर कार्यपालक अधिकारी को देगा ।

(4) कार्यपालक अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वामी को उन संकर्मों की जानकारी देगा जो उसकी भूमि पर कार्यान्वित किए जाने हैं और वह तारीख नियत करेगा जिस तक स्वामी को उन सकर्मों को कार्यान्वित करना होगा।

(5) यदि ऐसा स्वामी कार्यपालक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, उक्त अधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख से पूर्व, किसी सकर्म को कार्यान्वित करने में असफल रहता है या किसी भी समय कार्यपालक अधिकारी को लिखित में ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो कार्यपालक अधिकारी उस संकर्म को स्वयं कार्यान्वित करा सकता है और उस प्रयोजन के लिए कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपगत व्यय स्वामी से वसूल किए जाएंगे ।

(6) यदि स्कीम में सम्मिलित किसी भूमि का स्वामी केन्द्रीय सरकार है तो केन्द्रीय सरकार का वह विभाग जिसका ऐसी भूमि पर नियंत्रण है या जिसके हाथ में उसका प्रबंध है, अथवा कार्यपालक अधिकारी जिसे बोर्ड या प्रशासक इस निमित्त निर्दिष्ट करे, उन संकर्मों को कार्यान्वित करेगा जिन्हें स्कीम के अधीन कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार दायी है ।

12. स्कीम में सम्मिलित न की गई भूमियों के स्वामियों का अभिदाय करने का दायित्व :—(1) यदि स्कीम के अधीन कार्यान्वित किए गए किसी संकर्म के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार भी है किन्तु उस भूमि के स्वामी से भिन्न व्यक्ति जिसकी भूमि में कार्य किया जाता है, उससे लाभान्वित हो सकता है तो वह व्यक्ति, यदि संकर्म स्वामी द्वारा कार्यान्वित किया गया है तो भूमि के स्वामी को और यदि संकर्म कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को अभिदान के रूप में उतनी रकम का सदाय करेगा जो प्रशासक द्वारा अवधारित की जाए :

परन्तु प्रशासक, केन्द्रीय सरकार की भूमि में कार्यान्वित किए गए किसी संकर्म की बाबत ऐसे संपूर्ण अभिदाय या उसके भाग के संदाय को माफ कर सकता है ।

(2) रकम उतने समय के भीतर सदत्त की जाएगी जो प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

12क—शास्ति :— वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन प्रवृत्त की गई किसी स्कीम या धारा 10क के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता

है या कराता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो स्कीम के अधीन कार्यान्वित किए गए किसी सकर्म को नुकसान पहुंचाता है, या धारा 13 या धारा 13क या धारा 25 की उपधारा (4) या धारा 25क के अधीन उस पर अधिरोपित किसी दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह दण्डादिष्ट किए जाने पर, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा, या साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अध्याय-4

स्कीम के अधीन कार्यान्वित किए गए सकर्मों का रख रखाव, मरम्मत और प्रयोग

13. विवरणी . (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी स्कीम के अधीन पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए गए किसी सकर्म की दशा में कार्यपालक अधिकारी एक विवरणी तैयार करेगा जिसमें किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां रहेंगी . —

(क) (1) पूरा किया गया सकर्म,

(2) उसका खर्च,

(3) स्वामियों से वसूल की जाने वाली कुल रकम

(4) प्रति हैक्टेयर या निर्धारण पर प्रति वर्ष प्रति रुपया साधारण दर जिस पर ऐसी रकम स्वामी से वसूल की जानी है,

(5) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी रकम वसूल की जानी है।

(6) वह सकर्म जिसका रख-रखाव मरम्मत उसकी राय में अलग-अलग या संयुक्ततः किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम ।

(ख) यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उप-खण्ड की दशा में उसका स्वामी उस पर स्थित सकर्म का रख-रखाव या मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है या यदि खर्च स्वामी से ऐसी दर पर वसूल किया जाना है जो साधारण दर से भिन्न है तो ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक या उनके उपखण्डों की सूची और वह दर जिस पर खर्च ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड के स्वामी से वसूल किया जाना है

(ग) एक नक्शा जिसमें गांव में कार्यान्वित किया गया सकर्म दिखाया गया हो,

(घ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं,

(2) जब इस धारा के अधीन विवरणी तैयार की जाए तब उसमें दर्शाए गए कोई अधिकार और दायित्व स्वामित्व के अभिलेख में प्रविष्ट किए जाएंगे या, जहां कोई स्वामित्व अभिलेख नहीं है वहां विहित किए गए ग्राम अभिलेख में और ग्राम लेखा में ऐसी रीति से प्रविष्ट किया जाएगा जैसी प्रशासक विहित करे और तदुपरि वह स्वामित्व अभिलेख का या ऐसे ग्राम अभिलेख का और ग्राम लेखा का भाग होगा ।

13क कार्यपालक अधिकारी द्वारा वसूली विवरणियों का तैयार किया जाना और स्वामित्व अभिलेख आदि में की जाने वाली प्रविष्टियां.— (1) धारा 13 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कार्यपालक अधिकारी कार्यान्वित किए जाने वाले किसी सकर्म के किसी भाग के पूरा हो जाने पर एक अंतरिम विवरणी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जाएंगे . —

(1) संकर्म का कार्यान्वित किया गया भाग,

(2) कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले सकर्म रजिस्टर में यथाअभिलिखित संकर्म खर्च के आधार पर संगणित ऐसे भाग का खर्च,

(3) इस प्रकार से कार्यान्वित किए गए सकर्म के संबंध में स्वामी से वसूल की जाने वाली अंतरिम रकम

(4) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी रकम वसूल की जानी है,

(5) प्रति हैक्टेयर या निर्धारण के प्रति रुपए प्रति वर्ष वह साधारण दर जिस पर ऐसी रकम स्वामियों से वसूल की जानी है,

(6) यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड की दशा में खण्ड (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम साधारण दर से भिन्न किसी दर पर वसूल की जानी है तो ऐसी दर;

(7) उन व्यक्तियों के नाम जिनसे ऐसी रकम वसूल की जानी है,

(8) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(2) ऐसी स्कीम के अधीन सकर्म के पूर्णरूपेण कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् कार्यपालक अधिकारी—

(क) एक अंतिम विवरणी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे —

(1) कार्यान्वित किया गया सकर्म,

(2) संपूर्ण सकर्म का कुल खर्च,

(3) कुल खर्च में से अंतरिम रकम या, जैसी अंतरिम विवरणी में दिखाई गई है घटाने के पश्चात् अतिशेष, ब्याज की दर और वह रकम जो ऐसी दर पर वसूल की जानी है और इसके अनुषंगी विषय,

(4) ऐसे अतिशेष के संबंध में, स्वामियों से खर्च या खर्च के भाग के रूप में वसूल की जाने वाली अतिशेष रकम,

(5) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी रकम वसूल की जानी है,

(6) उन व्यक्तियों के नाम जिनसे ऐसी रकम वसूल की जानी है,

(7) निर्धारण के प्रति रुपए प्रति वर्ष, साधारण दर जिस पर खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट रकम वसूल की जानी चाहिए;

(8) यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड की दशा में उसके स्वामी से वसूल की जाने वाली रकम साधारण दर से भिन्न किसी दर पर वसूल की जानी है तो ऐसी दर और ऐसी सब सर्वेक्षण संख्यांकों या उपखण्डों की सूची;

(9) वह संकर्म जिसका रख रखाव और मरम्मत उसकी राय में, अलग-अलग या सामूहिक किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम,

(10) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

(ख) एक नक्शा जिसमें गांव में कार्यान्वित किया गया संकर्म दर्शाया गया हो ।

(2) अनंतिम विवरणी और अंतिम विवरणी में दर्शाए गए अधिकार और दायित्व, स्वामित्व अभिलेख में प्रविष्ट किए जाएंगे या जहां कोई स्वामित्व अभिलेख नहीं है वहां विहित ग्राम अभिलेख में और ग्राम लेखा में ऐसी रीति में प्रविष्ट किए जाएंगे जो प्रशासक विहित करे और तदुपरि वे ऐसे स्वामित्व अभिलेख या ग्राम अभिलेख या ग्राम लेखा के भाग होंगे ।

14 संकर्मों का रखा रखाव और मरम्मत करने की व्यक्तियों की बाध्यता —(1) धारा 13 या धारा 13क के अधीन तैयार की गई विवरणी में दर्शाया गया संकर्म का रखरखाव करने और मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी हरेक व्यक्ति अपनी भूमि पर स्थित और किसी अन्य भूमि पर स्थित संकर्म का जिसकी बाबत उक्त विवरणी में उत्तरदायी दर्शाया गया है, रख-रखाव और मरम्मत भूमि संरक्षण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में और उतने समय के भीतर करेगा जितना उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन नियत की गई अवधि के भीतर संकर्म का रखरखाव या मरम्मत करने में असफल रहता है तो भूमि संरक्षण अधिकारी संकर्म का रखरखाव या मरम्मत स्वयं करा‌एगा और ऐसा करने का खर्च उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा ।

(3) यदि भूमि संरक्षण अधिकारी की यह राय है कि ऐसा आपत उत्पन्न हो गया है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संकर्म की तुरन्त मरम्मत उस साधारण के हित में आवश्यक है या वह ऐसी मरम्मत करा‌एगा और ऐसी मरम्मत का खर्च उस भूमि के, जिस पर मरम्मत का कार्य किया गया है, स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(4) भूमि संरक्षण अधिकारी, जितना शीघ्र संभव हो, ऐसी मरम्मत के बारे में प्रशासक को रिपोर्ट करेगा ।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

15. रकम का संदाय और वसूली —धारा 11, 12 और 14 के अधीन देय कोई रकम या किसी जिले का संदाय उस तारीख को नहीं किया जाता है जिस तारीख को वह इस अधिनियम के अधीन देय हो जाती है, उस भूमि के, जिसके फायदे के लिए इस अधिनियम के अधीन स्कीम मंजूर की गई है या, जिस पर कोई संकर्म या मरम्मत कार्यान्वित की जाती है देय भू-राजस्व के बकाया के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसे बकाया के रूप में उन पद्धतियों में से किसी के द्वारा वसूलीय होगी जो इस अधिनियम में उपबंधित है ।

16 प्रवेश का अधिकार —किसी स्कीम को तैयार करने, मंजूर करने या निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए या किसी स्कीम के अधीन किसी संकर्म की मरम्मत या रखरखाव के लिए बोर्ड कलक्टर या भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति स्वामी, कब्जाधारी या भूमि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा सूचना देने के पश्चात जैसी विहित की जाए, प्रवेश कर सकेगा, उसका सर्वेक्षण कर सकेगा और उसका चित्रांकित कर सकेगा, तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सब आवश्यक कार्य कर सकेगा ।

17 जांच अधिकारी में होना, —(1) इस अधिनियम के अधीन जांच करने के लिए, सशक्त बोर्ड से भिन्न कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच उस रीति से करेगा जो संक्षिप्त जांच करने के लिए उपबंधित है और ऐसे अधिनियम में संक्षिप्त जांच करने से संबंधित उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक वे लागू हो सकते है ।

(2) ऐसे अधिकारी को तथा बोर्ड का किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने और दस्तावेज पेश कराने की बाबत वही शक्तियां होंगी जो विनियम के अधीन राजस्व अधिकारियों में विहित है ।

18 स्वामियों को उन के द्वारा किए गए सुधारों की बाबत भाटक में वृद्धि करने की अनुज्ञा —तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी स्कीम में सम्मिलित की गई किसी भूमि के स्वामी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस भूमि के अधिभोगी द्वारा देय भाटक में ऐसी रकम की, और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं वृद्धि कर ले ।

19 1908 का 6 भूमि सुधारा स्कीम से संबंधित दस्तावेज पर या नक्शे का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा —

(1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 6) की किसी बात में यह नहीं समझा जाएगा कि वह

किसी ऐसी स्कीम के संबंध में, जो प्रवृत्त हो गई है, तैयार किए गए, बनाए गए या मंजूर किए गए किसी दस्तावेज, प्लान या नक्शे के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करती है।

(2) ऐसे सब दस्तावेज, प्लान और नक्शे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत समझे जाएंगे।

परन्तु मंजूर की गई स्कीम से संबंधित दस्तावेजों, प्लानों और नक्शों तक जनसाधारण की विहित रीति में, पहुंच होगी।

20. प्रांतीय सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन:- - (1948 के मुम्बई अधिनियम सं० 29 की धारा 2 के साथ पठित 1945 के मुम्बई अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा निरसित)

21. प्रत्यायोजन:- - प्रशासक और प्रशासक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलक्टर या भूमि संरक्षण अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को किसी अधिकारी को कतिपय अधिकारियों का लोकसेवक होना प्रत्यायोजित कर सकता है।

22. धारा 4 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 16, धारा 21 या धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड के सदस्य और सचिव, जांच अधिकारी और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या व्यक्ति, कलक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी या प्रशासक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 55) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाईयों के लिए व्यक्तियों का संरक्षण और वादों तथा अभियोजनों के लिए परिसीमा-काल—(1) किसी लोक सेवक या इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की गई या की गई समझी गई किसी बात के लिए तब तक कोई वाद या अभियोजन संस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा वाद या अभियोजन उस कार्य को जिसका परिवाद किया गया है, करने की तारीख से छह मास के भीतर संस्थापित नहीं कर दिया जाता।

(2) किसी लोक सेवक या इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

24. नियम बनाने की शक्ति:—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों को अवधारित करने के लिए बनाए जा सकते है, अर्थात्:—

(1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (IX) और उपधारा (2) के खण्ड (5) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ;

(2) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ;

(3) धारा 13 की उपधारा (1) और (2) के अधीन विहित की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(3क) वह रीति जिसमें धारा 13 और 13क के अधीन तैयार की गई विवरणियों में दर्शाए जाने वाले अधिकार या दायित्व स्वामित्व अभिलेख तथा ग्राम लेखा में प्रविष्ट किए जाएंगे ;

(4) धारा 16 के अधीन सूचना देने की रीति ;

(5) वह रीति जिसमें दस्तावेज, प्लान और नक्शे धारा 19 के अधीन जनसाधारण को पहुंच में होंगे ;

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

25. कतिपय परिस्थितियों में स्कीम तैयार करने का निदेश देने की प्रशासक की शक्तियां—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक निम्नलिखित दशाओं में किसी क्षेत्र में धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने के लिए स्कीम तैयार करने का निदेश दे सकता है, अर्थात्:—

(1) जहां केन्द्रीय सरकार या कोई व्यक्ति स्कीम के खर्चे का 25 प्रतिशत से अन्यून अभिदाय करती या करता है ;

(2) यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी स्कीम पर प्राक्कलित खर्चे का 25 प्रतिशत से अन्यून का अभिदाय करने की वांछा करता है ;

(3) * * * *

(4) यदि प्रशासक की राय में किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के हित में, जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं या जो ऐसे सदस्य थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं या, ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के हित में भूमि सुधार आवश्यक है ;

(5) यदि प्रशासक की राय में स्कीम जनसाधारण के हित में आवश्यक है।

(2) प्रशासक, ऐसे निदेश के साथ-साथ या उस पश्चात् किसी समय, बोर्ड को, धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से युक्त स्कीम का प्रारूप ऐसे

IndiaCode

अनुदेशों के अनुसार तैयार करने के लिए जो बोर्ड जारी करें अधिकारी नियुक्त करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी तदनुसार स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष स्कीम प्रस्तुत किए जाने के पश्चात धारा 5 और उस धारा की अनुवर्ती धाराएं तथा धारा 24 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, वहां तक जहां तक कि वे लागू हो सकते हैं, ऐसी स्कीम के संबंध में लागू होंगे।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस भूमि का स्वामी जिसमें इस धारा के अधीन किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए कोई संकर्म कार्यान्वित किया गया है, धारा 13 या धारा 13क के अधीन विवरणी तैयार किए जाने पर्यन्त, उस संकर्म को भूमि संरक्षण अधिकारी के समाधानप्रद रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसकी समाधानप्रद रूप से उसकी मरम्मत उतने समय के भीतर करेगा जो भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा नियत की जाए। धारा 14 की उपधारा (2) के उपबंध इस उपधारा के अधीन स्वामी के दायित्व के संबंध में लागू होंगे।

25क. अकाल क्षेत्र या दुर्भिक्ष क्षेत्र घोषित किए गए किसी क्षेत्र में स्कीम तैयार करने और निष्पादित करने का निदेश देने की प्रशासक की शक्ति—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रशासक की यह राय है कि जन-साधारण के हित में कोई स्कीम आवश्यक है या अकाल या दुर्भिक्ष की स्थिति किसी क्षेत्र में विद्यमान है या हो सकती है या यह आवश्यक है कि किसी क्षेत्र में ग्रामीण बेरोजगार को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्य उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। ऐसी घोषणा के प्रकाशित होने पर प्रशासक किसी अधिकारी को ऐसे मामों में, जो विनिर्दिष्ट किए जाए, तुरन्त सटबंधों का निर्माण कराने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का निदेश दे सकता है। ऐसे निदेश में बोर्ड से उन विषयों के लिए उपबंध करने के लिए स्कीम तैयार करने की अपेक्षा भी की जाएगी जो धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है या उपधारा उस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी किए जाने पर बोर्ड कार्यपालक अधिकारी को एक स्कीम का प्रारूप तैयार करने के लिए कहेगा जिसमें वे सब संकर्म सम्मिलित होंगे जो उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जैसे कि बोर्ड जारी करे, अन्य संकर्म भी होंगे। स्कीम में वह सब विशिष्टियां होंगी जो धारा 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट हैं। ऐसा कार्यपालक अधिकारी तदनुसार स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(3) बोर्ड के समक्ष रखी गई स्कीम का प्रारूप उसके द्वारा बिना किसी उपांतरण के या ऐसे उपांतरणों सहित जैसे उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किए गए संकर्म पर प्रभाव नहीं डाले, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित की गई स्कीम राजपत्र में और उस ग्राम में जिसमें स्कीम में सम्मिलित की गई भूमियां स्थित हैं, प्रकाशित की जाएगी। स्कीम उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को वह ग्राम में प्रकाशित की जाती है और वह इस प्रकार से प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित की गई है। धारा 10क और उसकी अनुगामी धाराओं तथा धारा 24 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, वहां तक जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, ऐसी स्कीम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसी स्कीम है जो धारा 10 के अधीन प्रवृत्त हुई है।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस भूमि का स्वामी जिस पर इस धारा के अधीन किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए कोई संकर्म कार्यान्वित किया गया है, धारा 13 या धारा 13क के अधीन विवरणी तैयार किए जाने पर्यन्त, उस संकर्म को भूमि संरक्षण अधिकारी के समाधानप्रद रूप से बनाए गए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसकी मरम्मत उसके समाधानप्रद रूप से उतनी अवधि के भीतर करेगा जो भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा नियत की जाए तथा धारा 14 की उपधारा (2) के उपबंध इस धारा के अधीन स्वामी के दायित्व की बाबत लागू होंगे।

25ख. स्कीम प्रतिसंहृत करने की शक्ति—यदि बोर्ड द्वारा किए गए किसी अन्वेषण पर प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्कीम को उसके प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् प्रतिसंहृत कर सकता है और इस प्रकार प्रतिसंहृत किए जाने पर इस अधिनियम के उपबंध धारा 15 के सिवाय, ऐसी स्कीम को लागू नहीं रहेंगी। ऐसी अधिसूचना उस ग्राम में और उस जिले के मुख्यालय में भी प्रकाशित की जाएगी जिसमें ऐसी स्कीम में सम्मिलित की गई भूमि स्थित है।

[सं० यू 11015/5/83/यू०टी०एल० (154)]

आर० वी० पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1983

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 (Bombay Act No. 28 of 1942) as

in force in the State of Gujarat on the date of this notification, subject to the following modificaions, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,—

(a) Unless otherwise directed, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammer may require;

(b) for the words "Divisional Soil Conservation Officer", wherever they occur, the words "Soil Conservation Officer", shall be substituted;

(c) for the words "District Agricultural Officer", wherever they occur, the words "Agricultural Officer", shall be substituted;

(d) for the word "acre" wherever it occurs, the word "hectare" shall be substituted;

(e) The following words, wherever they occur shall be omitted :—

(i) "The Company";

(ii) "or, the Company";

(iii) "or, the Company Officer";

(iv) "or, as the case may be, the Company";

(v) "or, as the case may be, the Company Officer"; and

(vi) "or, as the case may be, to the Company".

2. In section 1,—

(i) In sub-section (2), for the words "State of Gujarat", the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;

(ii) proviso to sub-section (3) shall be omitted.

3. In section 2,—

(i) for clauses (1) and (1A) the following shall be substituted, namely :—

'(1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President, under article 239 of the Constitution;'

(1A) "Board" means a Board constituted under section 3;

'(1A) "Collector" means the Collector of Dadra and Nagar Haveli;'

(ii) clauses (1B) and (1C) shall be omitted;

(iii) For clause (2C), the following shall be substituted, namely :—

'(2C) "Executing Officer" means an Officer appointed by the Board under sub-section (1) of section 11 and shall be construed according as the schemes are executed at the expense of the Central Government';

(iv) for clause (5A), the following shall be substituted, namely :—

'(5A) "Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971';

(v) clauses (5B), (7A) and (7B) shall be omitted;

(vi) for clause (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) the words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings assigned to them in the Regulation.".

4. In section 3, in sub-section (1), the words "in each district" shall be omitted.

5. In section 5,—

(i) in sub-section (1), the words "or the officer appointed by the Company" shall be omitted;

(ii) in sub-section (2), the words "of the taluka, tehsil or mahal and" shall be omitted.

6. In section 9,—

(i) in proviso to sub-section (1), for the word 'Government' wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), the words "taluka, tehsil or mahal and of the" shall be omitted.

7. In section 11, in sub-section (2), (3) and (6), for the word "Government" wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted.

8. In section 12, in sub-section (1),—

(i) for the word 'Government', wherever it occurs, the words 'Central Government', shall be substituted;

(ii) for the words 'State Government' occurring for the second time, the word "Central Government, shall be substituted; and

(iii) second proviso shall be omitted.

9. In section 13, in sub-section (1), for the words "The Bombay Land Improvement Schemes (Extension and Amendment) Act, 1958" the words "this Act" shall be substituted.

10. In section 15, for the word 'Code', the word 'Regulation' shall be substituted.

11. Section 15A shall be omitted.

12. In section 17,—

(i) in sub-section (1), for the words 'the Code' the words "The Regulation" shall be substituted; and

IndiaCode

(ii) in sub-section (2), for the words "The relevant Land Revenue Act", the words "the Regulation" shall be substituted.

13. In section 21, the words "it or" wherever they occur shall be omitted.

14. In section 25, in sub-section (1), in clause (i), for the words "State Government" the words "Central Government" shall be substituted.

15. In section 25B, the words "taluka, tehsil or mahal, and of the" shall be omitted.

16. Sections 26 and 26A shall be omitted.

17. Sections 27, 28, 28A and 29 shall be omitted.

ANNEXURE

Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 (Bombay Act No. 28 of 1942) as in force in the State of Gujarat as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

An act to provide for the making and execution of schemes relating to the construction of tanks, embankments and other works, the prohibition and control of grazing for the purposes of preservation of soil, prevention of soil erosion, improvement of water supply and other matters in order thereby to protect and improve lands and crops in the Province of Bombay and for charging certain expenditure on the revenues of the Province.

Whereas it is expedient to provide for the making and execution of schemes relating to the construction of tanks, embankments, and other works, the prohibition and control of grazing for the purposes of preservation of soil, prevention of soil erosion, improvement of water supply and other matters in order thereby to protect and improve lands and crops in the Province of Bombay and for charging certain expenditure on the revenues of the Province :

And whereas the Governor of Bombay has assumed to himself under the Proclamation dated the 4th November 1939 issued by him under section 93 of the Government of India Act, 1935, all powers vested by or under the said Act in the Provincial Legislature :

Now, therefore, in exercise of the said powers, the Governor of Bombay is pleased to make the following Act :—

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942.

(2) It shall extend to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force in such area and on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, direct.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

(1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution.

(1A) "Board" means a Board constituted under section 3 ;

(1AA) "Collector" means the collector of Dadra and Nagar Haveli ;

(2) "Director of Agriculture" means the Officer appointed for the time being to be the Director of Agriculture and includes any officer appointed by the Administrator to perform the duties of the Director of Agriculture under this Act ;

(2A) "Soil Conservation Officer" means the officer appointed for the time being to be the Soil Conservation Officer and includes any other officer authorised by the Administrator to exercise the powers and perform the duties of a Soil Conservation Officer under this Act;

(2B) "Agricultural Officer" means the officer appointed for the time being to be the Agricultural Officer ;

(2C) "Executing Officer" means an officer appointed by the Board under sub-section (1) of section 11 and shall be construed according as the schemes are executed at the expense of the Central Government.

(3) "Inquiry Officer" means an officer appointed as such by the Board ;

(4) 'Owner' includes an owner in severalty, in common or joint, an occupant, a tenure holder, pattadar, tenant, and a mortgagee in possession and the expressions 'owing' and 'own' shall be construed accordingly;

(5) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(5A) "Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971.

(7) "Scheme" means a land improvement scheme prepared under this Act;

(8) the words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the meaning assigned to them in Regulation.

CHAPTER II.

Constitution of Boards and Preparation of Land IMPROVEMENT SCHEMES

3. Constitution of Boards.—(1) The Administrator shall constitute a Board consisting of the Collector, Officer and such non-official persons not exceeding two as may be appointed by the Administrator. tor, the Agricultural Officer, the Soil Conservation

(1A) The Soil Conservation Officer shall be the Secretary of the Board.

(2) If there is a difference of opinion among the members of the Board regarding an question under the provisions of this Act, the decision of the majority of the members shall pravail.

4. Power of Board to direct preparation of land improvement scheme and matters for which scheme may be prepared.—(1) The Board may direct the preparation of a land improvement scheme for any area within its jurisdiction. A scheme may make provision for any of the following matters, namely :—

(i) preservation and improvement of soil ;

(ii) prevention of erosion of soil ;

(iii) improvement of water supply including the construction or improvement of wells and other underground water resources and exploitation of those resources;

(iiia) development of land for better utilisation of the irrigation potential to be specified in the scheme ;

(iv) introduction of dry farming methods;

(v) improvement in the methods of cultivation;

(vi) reclamation of water-logged land or of land from the sea ;

(vii) prohibition or control of grazing ;

(viii) control and maintenance of tree growth ;

(viiia) regulation or prohibition of firing of vegetation

(viiib) cultivation of waste or fallow land ;

(viiic) eradication of hariyali or any other kind of weed or vegetation which is likely injuriously to affect, or interfere with cultivation ;

(ix) such other matters not inconsistent with the objects of this Act as may be prescribed.

(2) On such direction being issued by the Board, the Board shall appoint an officer to prepare, in accordance with such instructions as it may issue, a draft scheme containing the following particulars, namely :—

(i) the object of the scheme ;

(ii) the approximate area of the lands to be included in the scheme ;

(iii) the work or kind of work to be carried out under the scheme ;

(iv) the agency or agencies through which the work shall be carried out ;

(v) such other particulars as may be prescribed.

5. (1) The draft scheme prepared under section 4 shall be submitted by the officer appointed by the Board to the Board and the Board shall either approve the scheme with or without modifications or reject it and where the Board approves the scheme it shall appoint an Inquiry Officer.

(2) The scheme approved by the Board under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette and in the village and at the headquarters of the district in which the lands proposed to be included in the scheme are situate.

(3) The Board shall, simultaneously with the publication of the scheme in the village under sub-section (2) require all persons affected by the scheme who wish to make any objections to the scheme or part thereof to submit their objections in writing to the Inquiry Officer or appear before him, within seven days of such publication.

6. Report of Inquiry Officer.—(1) The Inquiry Officer shall hear such objections as are made to him in person, consider all objections duly submitted under section 5 and submit his report together with the objections to the Board.

(2) The Inquiry Officer may, while submitting his report under sub-section (1) recommend any modifications which in his opinion are required in any of the particulars contained in the scheme approved by the Board under sub-section (1) of section 5.

7. Decision of disputed claims, Rep. by Bom. 7 of 1945, s. 6, read with Bom. 29 of 1948, s. 2.

8. Report of Inquiry Officer, Rep. by Bom. 7 of 1945, s. 6, read with Bom. 29 of 1948, s. 2.

9. Power of Board to sanction scheme with or without modifications.—(1) After consideration of the objections and the report submitted under sub-section (1) of section 6 and of any further report which the Board may require the Inquiry Officer to submit to, the Board may sanction the scheme with or without modifications or reject it :

Provided that if not less than 49 per cent of the total number of the owners of the land included in the scheme other than the Central Government or owners other than the Central Government owing in the aggregate not less than 49 per cent of the land included in the scheme have made objections to the scheme or part thereof, the Board shall submit the scheme to the Administrator for his orders. The Administrator may thereupon sanction the scheme with or without modifications or reject it.

(2) The scheme as sanctioned under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette, and in the village and at the headquarters of the district in which the lands included in the scheme are situate and shall on such publication be final.

10. Effect of Scheme.—On the date on which the scheme is published in the village under sub-section (2) of section 9, it shall come into force and shall have effect as if it were enacted in this Act.

10A. Power of Administrator or of Board to make regulations.—For the purpose of carrying out the objects of a scheme which has come into force under section 10:—

(a) the Administrator, or

(b) the Board in consultation with the Administrator may make regulations requiring any person or persons or the public generally to take certain action or to refrain from doing certain acts in respect of any matters supplementary and incidental to the scheme.

CHAPTER III

EXECUTION OF THE SCHEME

11. Power to enforce scheme.—(1) After a scheme has come into force under section 10, the Board shall appoint an officer to execute it.

(2) Every owner of land included in the scheme shall pay the costs or part costs, as the case may be of the works which under the scheme are carried out by the Central Government in his land at the cost or part cost of the owner.

(3) If any owner of the land included in the scheme desires to carry out himself any works which under the scheme are to be carried out in his land by the Central Government at the cost or part cost of the owner, he shall give notice in writing to that effect to the Executing Officer within seven days of the publication of the scheme in the village under section 9.

(4) On receipt of such notice, the Executing Officer shall inform the owner of the works which are to be carried out in his land, and shall fix the date before which the owner shall carry out the works.

(5) If such owner fails to carry out any work to the satisfaction of the Executing Officer before the date fixed by him or at any time expresses in writing to the Executing Officer his inability to do so, the Executing Officer may himself get the work carried out and the expenses incurred by the Executing Officer for the purpose shall be recovered from the owner.

6. Where the owner of any land including in the scheme is the Central Government, the Department of Central Government which has the control or management of such land, or the Executing Officer directed in this behalf by the Board, the Administrator, as the case may be shall carry out the works which the Central Government is liable to carry out under the Scheme.

12.Liability of persons whose lands are not included in scheme to contribution.—(1) If, in consequence of any work carried out under the Scheme any person, including the Central Government other than the owner of the land in which the work is done, is likely to be benefited, he shall pay such amount as the Administrator may determine as contribution to the owner of the land, if the work has been carried out by the owner, or to the Central Government if the work has been carried out by the Executing Officer :

Provided that the Administrator may excuse payment of such contribution in whole or in part in respect of any work carried out by it in land belonging to the Central Government.

(2) The amount shall be paid within such time as may be specified by the Administrator.

12A. Penalty.—Any person who contravenes or causes any contravention of any of the provisions of a Scheme which has come into force under section 10, or any of the regulations made under section 10A, or does any act which causes damage to any of the works carried out under the Scheme, or fails to fulfil any liability imposed upon him under section 13 or 13A or sub-section (4) of section 25 or of section 25A shall on conviction, be punishable with fine which may extend to fifty rupees or with simple imprisonment for a period which may extend to one month, or with both.

CHAPTER IV

Maintenance, repairs and use of works carried out under the Scheme

13. Statement.—(1) In the case of any work under a scheme, wholly carried out before the commencement of this Act, the Executing Officer shall prepare a statement giving for any specified area the following particulars :—

(a) (i) the work done;

(ii) the cost thereof;

(iii) the total amount to be recovered from the owners;

(iv) the general rate per hectare or per rupee of assessment per annum at which such amount is to be recovered from the owners;

(v) the period within such amount is to be recovered;

(vi) the work which, in his opinion, shall be maintained and repaired individually or jointly and the names of such person or persons;

(b) if in the case of any survey number or subdivision of a survey number the owner is not liable to maintain or repair works therein, or if the cost is to be recovered from an owner at a rate other than the general rate, a list of such survey numbers or subdivisions and the rate at which the cost is to be recovered from the owner of such survey numbers or sub-divisions;

(c) a map showing the work carried out in the village;

(d) such other matters as may be prescribed.

(2) When the statement is prepared under this section any rights and liabilities shown therein shall be entered in the Record of Rights or where there is no Record of Rights, in the prescribed village record and in the village accounts in such manner as the Administrator may prescribe and shall thereupon form part of such Record of Rights or as the case may be, of such village record and of the village accounts.

13-A. Executing Officer to prepare recovery statements and entries to be made in Record of Rights, etc.—(1) Save as otherwise provided in section 13, the Executing Officer shall, on the completion of part of any work to be carried out, under a scheme prepare an interim statement specifying therein—

(i) the part of the work carried out;

IndiaCode

(ii) the cost of such part calculated on the basis of the works cost as recorded in the works register maintained by the Executing Officer;

(iii) the interim amount to be recovered from the owner in respect of the work so carried out;

(iv) the period within which such amount is to be recovered;

(v) the general rate per hectare or per rupee of assessment, per annum at which such amount is to be recovered from the owners;

(vi) if in the case of any survey numbers or sub-divisions of survey numbers the amount to be recovered under clause (iii) is to be recovered at a rate other than the general rate, such rate;

(vi) the names of the persons from whom such amount is recoverable,

(viii) such other particulars as may be prescribed.

(2) After the whole of the work under such scheme is carried out the Executing Officer shall prepare—

(a) the final statement specifying therein—

(i) the work carried out;

(ii) the total cost of the whole work;

(iii) the balance after deducting from the total cost the interim amount set out in the interim statement including the rate of interest and the amount to be recovered at such rate and any incidental thereto,

(iv) in relation to such balance, the balance amount to be recovered from the owners as cost or part cost;

(v) the period within which such amount is to be recovered;

(vi) the names of persons from whom such amount is recoverable;

(vii) the general rate per hectare or per rupee of assessment, per annum at which the amount specified under clause (iv) should be recovered:

(viii) if in the case of any survey number or sub-division of a survey number the amount recoverable from the owner there of is to be recovered at a rate other than the general rate, such rate and a list of all such survey numbers or sub-divisions;

(ix) the work which, in his opinion, shall be maintained and repaired individually or jointly and the names of such persons;

(x) such other particulars as may be prescribed;

(b) a map showing the work carried out in the village.

(3) The rights and liabilities shown in the interim statement and the final statement shall be entered in the Record of Rights or where there is no Record of Rights in the prescribed village record and in the village accounts in such manner as the Administrator may prescribe and shall thereupon form part of such record of rights or as the case may be, the village record and of the village accounts.

14. Obligation of persons to maintain and repair works.—(1) Every person shown in the statement prepared under section 13 or 13-A as liable to maintain and repair work shall, to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and within such time as the said officer may fix, maintain and repair the work in his own land and in any other land in respect of which he is shown as liable in the said statement.

(2) If such person fails to maintain or repair the work within the time fixed by the Soil Conservation Officer under sub-section (1), the Soil Conservation Officer shall himself get the work maintained or repaired and the cost of so doing shall be recovered from the person.

(3) If the Soil Conservation Officer is of opinion that an emergency has arisen and that the immediate repair of any work referred to in sub section (1) is necessary in the general interest, he shall carry out such repair and the cost of such repair shall be paid by the owner of the land on which the repair has been carried out.

(4) The Soil Conservation Officer shall, as soon as practicable make report to the Administrator regarding such repair.

CHAPTER V

Miscellaneous

15. Payment and recovery of amount.—Any amount or instalment thereof payable under sections 11, 12, or 14 which is not paid on the date when it becomes due under this Act shall be deemed to be an arrear of land revenue due on account of the land for the benefit of which the Scheme has been sanctioned under this Act or the work is or repairs are carried out and shall be recoverable as such arrear by any of the methods provided in the Regulation.

16. Right of entry.—For the purpose of preparing, sanctioning or executing any scheme for repairing or maintaining any works under any scheme, any person authority other than a Board empowered under this Conservation Officer may, after giving such notice as may be prescribed to the owner, occupier or other person interested in any land, enter upon, survey and mark out such land, and do all acts necessary for such purpose.

17. Inquiries to be held summarily.—(1) Any authority other than a Board empowered under this Act to make an inquiry shall make the inquiry in the manner provided for holding a summary inquiry under the Regulation and all the provisions contained in such Act relating to the holding of a summary inquiry shall, so far as may be, apply.

(2) Such authority as well as a Board shall have the same powers for summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath and compelling the production of documents as are vested in the revenue officers under the Regulation.

18. Permission to owners to increase rent on account of improvements effected.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the owner of any land included in a scheme to enhance the rent payable by a tenant of the land by such amount and subject to such conditions as may be prescribed.

19. Registration of document plan or map in connection with land improvement scheme not required.—(1) Nothing in the Indian Registration Act, 1908, XVI of 1908 shall be deemed to require the registration of any document, plan or map prepared, made or sanctioned in connection with a scheme which has come into force.

(2) All such documents, plans and maps shall, for the purpose of sections 48 and 49 of the Indian Registration Act, 1908, XVI of 1908 be deemed to be registered in accordance with the provisions of that Act :

Provided that documents, plans and maps relating to the sanctioned scheme shall be accessible to the public in the manner prescribed.

20. Delegation of powers by Provincial Government. Rep. by Bom. 7 of 1945 s. 16, read with Bom. 29 of 1948 s. 2.

21. Delegation.—The Administrator and subject to the control of the Administrator, the Collector or the Soil Conservation Officer may delegate to any officer any of the powers conferred on him or any of the functions to be performed by him by or under this Act.

22. Certain officers to be public servants.—The members and Secretary of a Board, the Inquiry Officer and any officer or person authorised or appointed by the Board, the Collector, the Soil Conservation Officer or the Administrator under sub-section (2) of section 4, sub-section (1) of section 11, section 16, section 21 or sub-section (2) of section 25, as the case may be, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code, XLV of 1860.

23. Protestation of persons acting in good faith and limitation of suits and prosecutions.—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any public servant or person duly authorised under this Act in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit or prosecution shall be instituted against any public servant or person duly authorised under this Act in respect of anything done or intended to be done under this Act, unless the suit or prosecution has been instituted within six months from the date of the act complained of.

24. Power to make rules.—(1) The Administrator may, by notification published in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may be made to determine the following matters, namely:—

(i) the matters to be prescribed under clause (ix) of sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 4;

(ii) the matters to be prescribed under section (d) of sub-section (1) of section 13;

(iii) other particulars to be prescribed under sub-sections (1) and (2) of section 13-A;

(iiia) the manner in which the rights and liabilities shown in the statements prepared under sections 13 and 13-A shall be entered in the Record of Rights or villages record and in the village accounts;

(iv) the manner of giving notice under section 16;

(v) the manner in which documents, plans and maps shall be made accessible to the public under section 19;

(3) The rules made under the section shall be subject to the condition of previous publication.

25. Powers of Administrator to direct preparation of scheme in certain circumstances.—(1)Notwithstanding anything contained in this Act, the Administrator may direct the preparation of scheme providing for any of the matters specified in sub-section (1) of section 4 in any area in the following cases, namely :—

(i) where the Central Government, or any trust contributes not less than 25 per cent of the cost of the scheme;

(ii) if any person or authority is willing to contribute not less than 25 per cent of the scheme;

(iii) x x x x x x

(iv) if in the opinion of the Administrator land improvement is necessary in the interest of any persons who are members of the armed forces of the Union or who were such members and have retired or the dependents of such persons; or

(v) if in the opinion of the Administrator the scheme is necessary in the interest of the public.

(2) Along with such direction or any time thereafter, the Administrator may authorise the Board to appoint an officer to prepare, in accordance with such instructions as the Board may issue, a draft scheme containing the particulars specified in sub-section (2) of section 4. The officer so appointed shall prepare a draft scheme accordingly and submit it to the Board for approval.

(3) After the scheme is submitted to the Board for approval under sub-section(2), the provisions of section 5 and the sections following the said section and the rules made under section 24 shall, so far as they can be made applicable, apply in respect of such scheme.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the owner of the land in which any work has been carried out for the purposes of a scheme under this section be liable, pending the preparation of the statement under section 13 or 13-A to maintain the work to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and repair it to his satisfaction within such time as he may fix.

The provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply in respect of the owner's liability under this sub-section.

25A. Power of Administrator to direct preparation and execution of scheme in area declared to be famine or scarcity area.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Administrator is of opinion that a scheme is necessary in the interest of the public or that a state of famine or scarcity prevails or is likely to prevail in any area or that it is necessary to provide suitable work to relieve rural unemployment in any area it may make a declaration to that effect. Such declaration shall be published in the Official Gazette. On the publication of such declaration, the Administrator may direct the Collector to appoint an officer as the Executing Officer for the purpose of immediately constructing embankments in such villages as may be specified. Such direction shall also require the Board to prepare a scheme providing for matters specified in clauses (i) and (ii) of sub-section (i) of section 4 or any other matters specified in sub-section (1) of that section in such villages.

(2) On the issue of a direction under sub-section (1), the Board shall ask the Executing Officer to prepare a draf scheme, including therein all the works undertaken by him under sub-section (1), and other works in accordance with such instructions as the Board may issue, containing the particulars specified in sub-section (2) of section 4. Such Executing Officer shall prepare a draft scheme accordingly and submit it to the Board for its approval.

(3) The draft scheme submitted to the Board may be approved by it without modification or with such modification as shall not affect the work carried out by the Executing Officer under sub-section (1). The scheme so approved by the Board shall be published in the Official Gazette and in the village in which the lands included in the scheme are situate. On the date on which the scheme is published in the village **it shall come into force and shall have effect as if** it were enacted in this Act. The provisions of section 10A and the sections following the said section and the rules made under section 24 shall, so far as they can be made applicable, apply in respect of such scheme as if it were a scheme which has come into force under section 10.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) the owner of the land in which any work has been carried out for the purposes of a scheme under this section shall be liable, pending the preparation of the statement under section 13 or 13-A to maintain the work to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and repair it to his satisfaction within such time as he may fix and the provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply in respect of the owners' liablility under this section.

25B. Power to revoke scheme.—If upon an application made by the Board the Administrator is satisfied that it is necessary so to do the Administrator may, at any time, by notification in the Official Gazette, revoke any scheme after it has come into force and upon such revocation the provisions of this Act, except section 15, shall cease to apply to such scheme. Such notification shall also be published in the village and at the headquarters of the district in which the lands including in such scheme are situate.

[No. U-11015/5/83-UTL (154)]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983